



कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी0ए0डी0 सर्किल, कोटा

Website : www.kotamc.org, Email : nkksouth@gmail.com, Tel. pho. 0744-2502142

क्रमांक:- ननि (दक्षिण) को/उपा.रा./2025/4744-56

दिनांक:- 9/7/25

-: ई-निविदा सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा कोटा दक्षिण नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्दर संलग्न सूची अनुसार चिह्नित स्थानों पर यूनियोल लगाकर विज्ञापन प्रदर्शन के वार्षिक लाईसेंस हेतु (प्रत्येक यूनियोल पर एक तरफा विज्ञापन पट्ट साईज लम्बाई 20' X 10' चौड़ाई = 200 वर्गफुट) 45 यूनियोल कार्यादेश से एक वर्ष 2025-26 हेतु 2 Bid 2 Stage (पद्धति) के अनुसार ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदा आमन्त्रित की जाती है।

अनुमानित राशि	निविदा में संलग्न सूची अनुसार अलग-अलग वार्षिक राशि
निविदा शुल्क	संलग्न सूची अनुसार अलग-अलग निविदा शुल्क
धरोहर शुल्क	संलग्न सूची अनुसार प्रति साईट अलग-अलग
प्रोसेसिंग शुल्क	500/- अलग-अलग प्रत्येक साईट प्रोसेसिंग शुल्क
ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की दिनांक	10.7.25 से 8.8.25 तक सांय 08.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा जमा कराने की दिनांक	10.7.25 से 8.8.25 तक सांय 08.00 बजे तक
अपेक्षित डी0डी0 एवं दस्तावेज जमा कराने की दिनांक	11.8.25 सांय 04.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा की तकनीकी बिड खोलने की दिनांक	12.8.25 सांय 03.00 बजे तक
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक	तकनीकी बिड की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत

उपरोक्त कार्य के लिये निर्धारित धरोहर राशि/निविदा शुल्क उनके सामने अंकित राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण के नाम तथा प्रोसेसिंग फीस का डी0डी0 'मैनेजिंग डायरेक्टर' आर0आई0एस0एल0 जयपुर के नाम निर्धारित दिनांक 11.8.25 को सांय 4.00 बजे तक अनुसार राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा दक्षिण के 'ए' ब्लॉक में प्रथम तल पर कमरा नं0 238 में पहुंच जाना चाहिये। डी.डी. फर्म के नाम अथवा फर्म/संस्था के मालिक के द्वारा ही बनवाया जावे अन्य किसी नाम से तैयार किए गए डी.डी. को स्वीकार नहीं किया जावेगा। उक्त निविदा नियत तिथि को ऑनलाईन खोली जावेगी। स्वीकृत ठेका राशि पर 18% GST एवं किसी भी प्रकार का प्रचलित कर संवेदक को स्वयं वहन करना होगा।

निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ऐजेन्सी निविदा प्रपत्र एवं शर्तें नगर निगम की वेब साईट www.kotamc.org एवं <https://sppp.rajasthan.gov.in> तथा <https://eproc.rajasthan.gov.in/> से देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में निगम कार्यालय में देखी जा सकती है।

उपायुक्त/राजस्व

नगर निगम, कोटा (दक्षिण)

दिनांक:- 9/7/25

क्रमांक:- ननि (दक्षिण) को/उपा.रा./2025/4744-56

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् महापौर महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
2. श्रीमान् उपमहापौर महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
3. श्रीमान् नेता प्रतिपक्ष महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
4. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व कर वसूली समिति, नगर निगम कोटा दक्षिण।
5. आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
6. अति0 आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
7. उपायुक्त प्रथम/द्वितीय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
8. मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा दक्षिण।
9. राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक, नगर निगम कोटा दक्षिण।
10. पुस्तकालयाध्यक्ष नगर निगम, कोटा दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना तीन राज्य स्तरीय समाचार पत्र के संभाग स्तरीय संस्करण दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करावें।
11. प्रभारी, एनआईसी को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना नगर निगम की वेबसाईट एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल पर डलवाने हेतु व्यवस्था करावें।
12. सम्बन्धित लिपिक.....कोटा।
13. नोटिस बोर्ड/चस्पा।
14. गार्ड फाईल।

Private Unipol Nivida 25-26.51

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम, कोटा (दक्षिण)

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

—: तकनीकी बिड :—

1. कार्य का नाम:— नगर निगम कोटा दक्षिण सीमा क्षेत्र में निविदा में संलग्न सूची अनुसार चिह्नित स्थानों पर यूनियोपल विज्ञापन पट्ट (20' X 10' = 200 वर्गफुट) पर एक तरफा विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति
2. कार्य की अवधि :— कार्यादेश से एक वर्ष 2025-26 हेतु
3. निविदादाता का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटो बॉक्स में चस्पा करें।
4. निविदादाता स्वयं के स्थाई अंकित पते की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें। फोटो एवं स्थाई अंकित पते के पुष्टि स्वरूप नल, बिजली, टेलिफोन, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस में से एक की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
5. आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. बैंक खाता पासबुक व कैंसिल चैक की सत्यप्रतिलिपि।
7. दो वर्षों 2022-23 व 2023-24 की आयकर रिटर्न स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
8. व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संस्था/व्यक्ति के अधिकृत प्रतिनिधि का अधिकार पत्र (Power of Attorney) एवं आईडी की स्वप्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत करें।
9. डी.डी. निविदादाता/फर्म/व्यक्ति के नाम से तैयार किया गया होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. समस्त प्रकार की निविदा राशि का डी.डी. अलग-अलग प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. सफल संवेदक को बिड राशि की 5 प्रतिशत राशि परफॉरमेन्स गारण्टी डी.डी. द्वारा जमा करवानी अनिवार्य होगी।
12. EPF एवं ESI विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
13. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।
14. फर्म द्वारा इस आशय का 100/- शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संस्था/फर्म/इच्छुक व्यक्ति पर नगर निगम कोटा दक्षिण राजस्व अनुभाग की कोई राशि बकाया नहीं है तथा नगर निगम कोटा दक्षिण के सदस्य/कार्मिक का प्रथम श्रेणी रक्त संबंधी नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. राशि 100/- के स्टाम्प पर केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी निकायों/निगम/बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम का बकायादार एवं ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट :- तकनीकी बिड में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड में बिन्दु सं० 3 से 15 तक के दस्तावेज साफ पढ़ने योग्य स्केन करके ऑनलाईन प्रस्तुत करने पर ही तकनीकी बिड सफल मानी जावेगी अन्यथा बगैर किसी उज के निविदा से असफल मानकर बाहर कर दिया जावेगा।

हस्ताक्षर अधिकृत

निविदादाता/प्रोपराईटर/डायरेक्टर

नाम:-

पिता का नाम:-

पूर्ण पता:-

मोबाईल नं० :-

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

—: वित्तीय बिड :-

1. कार्य का नाम :- नगर निगम कोटा दक्षिण सीमा क्षेत्र में निविदा में संलग्न सूची अनुसार चिह्नित स्थानों पर यूनियोपल विज्ञापन पट्ट (लम्बाई 20' X 10' चौड़ाई = 200 वर्गफुट) पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति
2. कार्य की अवधि :- कार्यादेश से एक वर्ष 2025-26 हेतु
3. अनुमानित न्यूनतम बोली राशि :- प्रति यूनियोपल साइटों के लिये संलग्न सूची अनुसार।
4. वित्तीय बिड खोलने की तिथि :- तकनीकी बिड की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत।
5. वित्तीय बिड में उच्चतम बोली प्रस्तावित करने वाले को ही प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत सफल निविदादाता माना जायेगा।
6. निविदादाता का नाम व स्थाई पता :-.....
मय फोन नं०
7. कोटा दक्षिण नगर निगम सीमा क्षेत्र में निविदा में संलग्न सूची अनुसार चिह्नित स्थानों पर यूनियोपल विज्ञापन पट्ट (20' X 10' = 200 वर्गफुट) पर एक तरफा विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति हेतु दर राशि :-
दरें अंको/शब्दों में ऑनलाईन BOQ शीट में प्रस्तावित

मैं संलग्न शर्तों/निर्देशों को भली-भांती अध्ययन कर लिया है, मैं उक्त शर्तों से सहमत हूँ एवं इनका पालन करूंगा।

हस्ताक्षर अधिकृत निविदादाता/प्रोपराईटर/डायरेक्टर

नाम:-

पिता का नाम:-

पूर्ण पता:-

मोबाईल नं० :-.....

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज0)

कार्यादेश से एक वर्ष 2025-26 हेतु

कोटा दक्षिण नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्दर चिन्हित स्थानों पर यूनिपोल लगाकर

विज्ञापन प्रदर्शन के वार्षिक लाईसेंस की नीलामी शर्तें

1. कोटा दक्षिण नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्दर के चिन्हित स्थानों पर यूनिपोल लगाकर विज्ञापन प्रदर्शन के वार्षिक लाईसेंस की अवधि कार्यादेश से एक वर्ष 2025-26 हेतु होगी।
2. यूनिपोल साईट की राशि मय जीएसटी एक मुश्त डी.डी. द्वारा ही जमा करानी अनिवार्य होगी
3. सफल संवेदक को निगम द्वारा मांग पत्र जारी होने के 10 दिवस के अन्दर यूनिपोल की एक मुश्त राशि निगम कोष में जमा कराकर जमा रसीद राजस्व अनुभाग में प्रस्तुत करनी होगी। जिसके पश्चात् कार्यादेश जारी किया जावेगा। तत्पश्चात् ही उक्त साईट अनुमत होगी। ऐसा नही होने पर सम्बन्धित यूनिपोल साईट निरस्त कर पुनः निविदा में लगा दी जावेगी। जिसमें किसी भी तरह की कोई अभ्यावेदन/आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।
4. 20 X 10 से अधिक नाप अथवा दो तरफा विज्ञापन करता पाए जाने पर परफॉर्मेन्स गारण्टी राशि को जब्त कर उक्त यूनिपोल साईट को निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके लिए किसी भी तरह का उज्र मान्य नही होगा।
5. सफल आवेदक को बिड राशि का 5 प्रतिशत राशि परफॉर्मेन्स गारण्टी डी.डी. द्वारा जमा करवानी अनिवार्य होगी।
6. स्वीकृत निविदादाता को निर्धारित राशि के अनुबन्ध पत्र अपने खर्चे पर निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यादेश (Work Order) के बगैर साईट लगाई जाने पर अवैध मानते हुए निरस्त की कार्यवाही करते हुए यूनिपोल को जब्त कर लिया जावेगा। जिसके हर्जे-खर्चे की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
8. उक्त निविदा में इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/एजेन्सी भाग ले सकेंगे।
9. बगैर राशि जमा कराये साईट लगाये जाने पर अवैध मानते हुए ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
10. निविदा में निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर राशि के डी.डी. अलग-अलग लिफाफे में जमा करावें
11. यह निविदा कोटा दक्षिण नगर निगम सीमा क्षेत्र में सर्वेक्षित स्थानों पर साईज 20' X 10' = 200 वर्गफीट के यूनिपोल पर, स्वीकृत लाईसेंसधारीयों द्वारा स्वयं के खर्चे पर यूनिपोल का समस्त स्ट्रक्चर स्थापित कर, केवल विज्ञापन प्रदर्शन के लाईसेंस की नीलामी के लिये आमन्त्रित की जाती है।
12. ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि भी फर्म को जमा करानी होगी।
13. निविदा टेण्डर की समस्त राशि डी.डी. द्वारा ही स्वीकार्य होगी अन्यथा नही।
14. विज्ञापन प्रदर्शन अनुज्ञा पत्र नीलामी के द्वारा स्वीकृत वार्षिक लाईसेंस फीस पर जारी किया जावेगा।
15. स्वीकृत निविदादाता को निविदा में ली गई किसी भी साईट को लाईसेंस अवधि के दौरान छोड़ने एवं परिवर्तन करने का अधिकार नही होगा और ना ही इसके लिये किसी तरह का आवेदन स्वीकार होगा।
16. राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, निगम के सरकारी विज्ञापन वाले फर्म की साईटों पर 15 दिवस के लिए (अलग-अलग दिवसों के लिए) निशुल्क विज्ञापन प्रचार-प्रसार करना अनिवार्य होगा। ऐसा नही करने पर फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। जिसमें साईट निरस्त भी की जा सकती है।
17. अनुज्ञाधारी स्वयं को स्वीकृत संलग्न सूची अनुसार चिन्हित स्थानों में अंकित यूनिपोलो से अधिक यूनिपोल/होर्डिंग इत्यादि विज्ञापन प्रदर्शन के कोई स्ट्रक्चर या उपकरण लगाता है तो उसे अवैध मानकर निगम द्वारा हटाते हुये जब्त कर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
18. निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता फर्म/कम्पनी/संस्था/व्यक्ति को आधार कार्ड की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा साथ ही दो वर्षों 2022-23 व 2023-24 के आयकर रिटर्न की प्रति लगाना अनिवार्य है।
19. निविदा प्रपत्र पर अधिकृत निविदादाता/प्रोपराईटर/डायरेक्टर का नवीनतम फोटो जो स्व:प्रमाणित हो चस्पा करना होगा एवं निवास व डाक के पते के प्रमाण स्वरूप नल, बिजली, टेलीफोन, ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाता परिचय पत्र में से एक व आधार कार्ड (अनिवार्य होगा) एवं पेन कार्ड निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

20. निगम द्वारा निविदा में चिह्नित स्थान पर विज्ञापन यूनियोल न लगाकर अन्य स्थान या दूरी पर लगा हुआ पाया जाने पर अवैध श्रेणी में मानते हुये बगैर किसी सूचना के हटा दिया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/कम्पनी/संस्था/अनुज्ञाधारी की होगी।
21. सफल निविदादाता को स्वयं को स्वीकृत किसी भी साईट को परिवर्तन (शिफ्टिंग) का अधिकार नहीं होगा अथवा कोई भी साईट परिवर्तन (शिफ्टिंग) नहीं की जा सकेगी। ऐसा पाया जाने पर साईट को अवैध मानकर कार्यवाही की जावेगी अथवा निविदा में स्वीकृत यूनियोल साईटों को शहर के सौन्दर्यकरण, यातायात एवं विशेष परिस्थितियों में बाधित पाये जाने पर हटाया जा सकता है जो कि आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण के अधिकार में निहित होगा।
22. अनुज्ञा अवधि के बीच में किसी भी यूनियोल साईट को छोड़ने पर किसी भी तरह की राशि वापसी योग्य नहीं होगी ना ही इसके लिये किसी तरह का प्रार्थना पत्र आवेदन स्वीकार्य होगा।
23. हर विज्ञापन यूनियोल पर स्वीकृत फर्म/कम्पनी/संस्था/व्यक्ति को अपना नाम एवं निगम द्वारा जारी साईट नं० विज्ञापन बोर्ड पर बड़े अक्षरों में अंकित करना होगा जो कि दूर से ही नजर आ सके। ऐसा नहीं पाये जाने पर उक्त साईट को अवैध मानकर बगैर किसी सूचना के हटा दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/कम्पनी/संस्था/व्यक्ति की होगी।
24. बिना कारण बताये ठेका स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रशासन नगर निगम, कोटा दक्षिण में निहित होगा।
25. स्वीकृत लाईसेंसधारी द्वारा स्वयं के खर्चे पर स्थापित यूनियोल के स्ट्रक्चर की ऊँचाई जमीन से न्यूनतम 20 फिट तक रखना होगा।
26. अनुज्ञाधारी को यूनियोल पट्ट लगाने समय यातायात नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी। निगम द्वारा स्वीकृत साईट स्थल को ही अधिकृत साईट स्थल माना जायेगा।
27. अनुज्ञाधारी को स्वीकृत किये गये साईज 20 X 10 माप से अधिक लम्बाई व चौड़ाई के विज्ञापन पट्ट लगाने की अनुमति नहीं होगी। यदि जांच में ऐसा पाया गया तो उक्त साईट अवैध मानकर बिना कोई पूर्व सूचना दिये हटवाकर जब्त की जा सकेगी एवं इसका समस्त खर्चा अनुज्ञाधारी को देना होगा तथा मौके पर ही साईट को निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इस प्रकार के कार्य से होने वाले नुकसान हेतु अनुज्ञाधारी स्वयं जिम्मेदार होगा।
28. जिन फर्मों/व्यक्ति/संस्था पर नगर निगम की किसी भी प्रकार की राशि बकाया हो उन्हें इस निविदा में भाग लेने हेतु निषेध किया जाता है।
29. स्वीकृत निविदादाता को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी कर, जीएसटी या अन्य कर लाईसेंसधारी को देय होगा, जो मूल राशि के अतिरिक्त होगा।
30. निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित निविदा शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण एवं प्रोसेसिंग फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट "मैनेजिंग डायरेक्टर" आर०आई०एस०एल० जयपुर के नाम देय होगा।
31. आयकर प्रमाण-पत्र, कम्पनी/फर्म/संस्था/व्यक्ति के अधिकृत प्रतिनिधि का अधिकार पत्र (Power of Attorney) एवं अधिकृत प्रतिनिधि की आई०डी० की स्व:प्रमाणित फोटो प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।
32. यूनियोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
33. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनियोल की देखभाल व निगरानी स्वयं अपने खर्चे से करेगा। किसी भी दुर्घटना/मानहानि की स्थिति में किसी भी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान के भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम कोटा दक्षिण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
34. भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन/आदेश केन्द्र सरकार/न्यायालय/राज्य सरकार अथवा नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा जारी किये जायेंगे उनकी पालना भी विज्ञापन प्रदर्शन लाईसेंसधारी को करनी होगी। प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंस अथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिये भी बाध्य होगा।
35. किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में यूनियोल के गिरने पर रास्ता अवरोध होने की स्थिति में सूचना के दो घण्टे की अवधि में यूनियोल को खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
36. निलामी की अन्तिम बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम कोटा दक्षिण को होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
37. निविदा शर्तों में परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार नगर निगम कोटा दक्षिण को होगा। संशोधन/परिवर्तन सभी अनुज्ञापत्रधारीयों को मान्य होगा।

38. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में कोई विवाद यदि पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अन्तिम निर्णय आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण का होगा।
39. विज्ञापन पट्ट पर विद्युत/बैटरी से चलने वाले उपकरणों बल्ब, ट्यूब लाईट आदि से सजावट नहीं की जावेगी।
40. समस्त प्रकार के यूनियोपल एवं उन पर लगे विज्ञापन के निरीक्षण का अधिकार आयुक्त, उपायुक्त, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक/सहाय राजस्व निरीक्षक का होगा।
41. अनुज्ञापत्रधारी को उपरोक्त सभी शर्तों या किसी भी एक शर्त का उल्लंघन करने पर अनुज्ञापत्र निरस्त कर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
42. किसी भी वाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र कोटा होगा।
43. निविदा के लिये रिस्क एण्ड कोस्ट नियम तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम लागू होंगे।
44. निविदा के सम्बन्ध में सर्वाधिकार नगर निगम कोटा दक्षिण में सुरक्षित रहेंगे।
45. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिये बाध्य होगा एवं किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र लाईसेंस अथोरिटी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
46. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार कोटा स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
47. दस्तावेज अपूर्ण होने पर तकनीकी बिड में असफल घोषित कर दिया जावेगा। जिसका उज्र मान्य नहीं होगा।
48. कार्यदेश की समयावधि पश्चात् साईटें मौके पर लगी हुई पाए जाने पर अवैध मानकर हटा दिया जावेगा। जिसका हर्जा-खर्चा कम्पनी/फर्म से वसूल किया जावेगा और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
49. तकनीकी बिड में वांछित दस्तावेज स्वयं सूचीबद्ध कर संलग्न करें।
50. उक्त EPF एवं ESI विभाग के रजिस्ट्रेशन के साथ ही 100 रु. के स्टाम्प पर यह शपथ पत्र देना होगा कि EPF एवं ESI के संबंध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं (निविदादाता) का होगा।

**उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा (दक्षिण)**

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तों को मैंने भली भाँति अध्ययन कर लिया है और मैं निविदा की समस्त शर्तों से पूर्णतः सहमत हूँ और पालना के लिये बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

हस्ताक्षर अधिकृत निविदादाता/प्रोपराईटर/डायरेक्टर

नाम.....
 पिता का नाम.....
 पता.....
 मोबाईल नं०.....
 व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/फर्म/ऐजेन्सी का नाम.....
 पूर्ण पता.....
 ऑफिस का लैण्ड लाईन नं०.....

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण (राज0)

45 यूनिपोल सार्डटों की सूची

वित्तिय वर्ष 2025-26 कार्यादेश से एक वर्ष हेतु

क्र. सं.	सार्डट संख्या	स्थान का विवरण	यूनिपोल	सार्डट एक तरफा	न्यूनतम दर राशि वर्ष 2025-26	संलग्न सूची अनुसार धरोहर राशि @2%	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर	निविदा शुल्क
1	SA-9	कह्रिस्तान के कोने पर सेन्टपोल स्कूल रोड	यूनिपोल	20 X 10	438625	8772		500
2	SC-28	बिनानी पार्क (माधवराव सिंधिया पार्क) साईड कोने पर छावनी चौराहा पलार्ड ओवर की तरफ से पहला	यूनिपोल	20 X 10	453750	9075		500
3	SC-29	बिनानी पार्क (माधवराव सिंधिया पार्क) साईड कोने पर छावनी चौराहा पलार्ड ओवर की तरफ से दूसरा	यूनिपोल	20 X 10	605000	12100		1000
4	SC-74	तलवण्डी चौराहा उडिया बस्ती साईड जवाहर नगर की तरफ सरकारी यूनिपोल के बीच में पहला	यूनिपोल	20 X 10	529375	10587		1000
5	SC-76	तलवण्डी चौराहा उडिया बस्ती साईड जवाहर नगर की तरफ सरकारी यूनिपोल के बीच में तीसरा	यूनिपोल	20 X 10	529375	10587		1000
6	SC-77	जवाहर नगर थाना की बाउण्ड्री के सहारे तलवण्डी सर्किल की तरफ से पहला	यूनिपोल	20 X 10	453750	9075		500
7	SC-78	जवाहर नगर थाना की बाउण्ड्री के सहारे तलवण्डी सर्किल की तरफ से दूसरा	यूनिपोल	20 X 10	453750	9075		500
8	SC-80	जवाहर नगर थाना की बाउण्ड्री के सहारे तलवण्डी सर्किल की तरफ से चौथा	यूनिपोल	20 X 10	438625	8772		500
9	SI-96	मोडिकल कॉलेज की दीवार के सहारे (काली माता मन्दिर के पास)	यूनिपोल	20 X 10	272250	5445		500
10	SI-97	खर्दे गणेश मन्दिर रोड मेहर छात्रावास के पास	यूनिपोल	20 X 10	272250	5445		500
11	SI-98	मोडिकल कॉलेज चौराहा पर मोडिकल कॉलेज की तरफ	यूनिपोल	20 X 10	302500	6050		500
12	SI-99	मोडिकल कॉलेज चौराहा पर मोडिकल कॉलेज की तरफ	यूनिपोल	20 X 10	332750	6655		500
13	SI-100	मोडिकल कॉलेज चौराहा जैन जन उपयोगी भवन की तरफ	यूनिपोल	20 X 10	302500	6050		500
14	SK-102	दादाबाड़ी तिराहा के पास केशवपुरा रोड की तरफ	यूनिपोल	20 X 10	635250	12705		1000
15	SK-103	दादाबाड़ी तिराहा नाले के पास दादाबाड़ी रोड की तरफ	यूनिपोल	20 X 10	605000	12100		1000
16	S-201	सिटी पार्क बाउण्ड्री के सामने फुटपाथ पर राजीव गांधी नगर वाले रोड पर	यूनिपोल	20 X 10	378456	7570		500
17	S-202	सिटी पार्क बाउण्ड्री के सामने फुटपाथ पर राजीव गांधी नगर वाले रोड पर	यूनिपोल	20 X 10	378456	7570		500
18	S-203	सिटी पार्क बाउण्ड्री के सामने फुटपाथ पर राजीव गांधी नगर वाले रोड पर	यूनिपोल	20 X 10	378456	7570		500
19	S-204	सीटी पार्क की दीवार के पास राजीव गांधी नगर	यूनिपोल	20 X 10	378456	7570		500
20	S-205	सीटी पार्क की दीवार के पास राजीव गांधी नगर	यूनिपोल	20 X 10	378456	7570		500
21	S-206	शीला चौधरी रोड कोने पर मन्दिर के सामने (झालाबाड से कोटा रोड साईड)	यूनिपोल	20 X 10	296930	5938		500
22	S-207	एमएमएल बाउण्ड्री के पास जवाहर नगर रोड से सरकारी यूनिपोल र-4 के बाद	यूनिपोल	20 X 10	435482	8710		500

23	S-208	भगवान विश्वकर्मा चौराहा देश की धरती कार्यालय के पास ट्रांसपोर्ट नगर सर्किल	यूनिपोल	20 X 10	146556	2931		500
		द-6 सरकारी यूनिपोल के पास						
24	S-209	आरकेपुरम बी0एस0एन0एल0 सर्किल पानी की टंकी की बाउण्ड्री के पास	यूनिपोल	20 X 10	200992	4020		500
25	S-210	अहिंसा सर्किल/आरकेपुरम चौराहा कब्रिस्तान की बाउण्ड्री के पास	यूनिपोल	20 X 10	200992	4020		500
26	S-211	महर्षि गौतम सामुदायिक भवन के पास नाले पर	यूनिपोल	20 X 10	354258	7085		500
27	S-212	राजीव गांधी की मूर्ति के सामने (कोटा से झालावाड रोड)	यूनिपोल	20 X 10	363017	7660		500
28	S-213	राजीव गांधी की मूर्ति के सामने (कोटा से झालावाड रोड)	यूनिपोल	20 X 10	363017	7660		500
29	S-214	सीएडी सर्किल पर अम्बेडकर भवन के पास	यूनिपोल	20 X 10	442890	8858		500
30	S-215	सीएडी सर्किल पर अम्बेडकर भवन के पास	यूनिपोल	20 X 10	442890	8858		500
31	S-216	जवाहर नगर तिराहा	यूनिपोल	20 X 10	435482	8710		500
32	S-217	जवाहर नगर तिराहा	यूनिपोल	20 X 10	435482	8710		500
33	S-218	चम्बल उद्यान (गांधी उद्यान गेट के पास)	यूनिपोल	20 X 10	228800	4576		500
34	S-219	खड़े गणेश जी चौराहे/धरणीधर चौराहे पर बस शेल्डर के पास	यूनिपोल	20 X 10	198000	3960		500
35	S-220	घाटोकिच चौराहे पर सरकारी यूनिपोल के पास	यूनिपोल	20 X 10	354258	7085		500
36	S-221	घाटोकिच चौराहे पर सरकारी यूनिपोल के पास	यूनिपोल	20 X 10	354258	7085		500
37	S-222	चावला सर्किल विवेकानन्द नगर	यूनिपोल	20 X 10	173774	3475		500
38	S-223	आईएल मन्दिर के सामने आक्सीजन पार्क के पीछे बायीं तरफ नाले के उपर	यूनिपोल	20 X 10	382495	7650		500
39	S-224	आईएल मन्दिर के सामने आक्सीजन पार्क के पीछे बायीं तरफ नाले के उपर	यूनिपोल	20 X 10	382495	7650		500
40	S-225	आईएल मन्दिर के सामने आक्सीजन पार्क के पीछे दायीं तरफ नाले के उपर	यूनिपोल	20 X 10	382495	7650		500
41	S-226	आईएल मन्दिर के सामने आक्सीजन पार्क के पीछे दायीं तरफ नाले के उपर	यूनिपोल	20 X 10	382495	7650		500
42	S-227	चम्बल गार्डन टिकट विण्डो के पास	यूनिपोल	20 X 10	228800	4576		500
43	S-228	ओपन यूनिवर्सिटी के अगले मोड पर बस स्टॉप के सामने	यूनिपोल	20 X 10	173774	3475		500
44	S-229	डकनिया रोड नं. कोने पर सुविधा गैस के सामने	यूनिपोल	20 X 10	424994	8500		500
45	S-230	जवाहर नगर रोड डॉ. कोठारी के मोड पर	यूनिपोल	20 X 10	435482	8710		500
					16777138	335545		25000